

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

समरप्रताप सिंह बनाम सरजीत सिंह आदि  
अन्तर्गत धारा 88, 188, 91, 92ए आरटीए नम्बर 24 रान् 2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023/22

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

तामिल  
हुक्म

15.02.2023

वादी समरप्रताप सिंह पुत्र सरजीत सिंह नाबालिग जरि कुदरती  
माता जसदीप कौर पत्नी सरजीत सिंह जाति सैनी सिख निवासी चक 47  
एफ तहसील श्रीकरणपुर हाल आबाद करडवाला तहसील सादुलशहर की ओर  
से अधिवक्ता श्री जसवन्दि सिंह चीमा ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए,  
188 आरटीए पेश किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को  
जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 20.03.2023 को पेश हो।

9

20/3/23

कार सच को कार्य स्थगित है श्री मान PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त है।  
पत्रावली दिनांक 25/4/23 को पेश हो प्रतिवादी से 1 ताप की  
तलाबी के सम्मन बहि आसील प्राप्त Kanna

25/4/23

वकील फर्दीको उपस्थित श्री मान PO साहब 25/4/23 में व्यस्त है।  
पत्रावली दिनांक 18/6/23 को पेश हो।

18/7/23

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान महोदय  
अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली  
दिनांक 19/7/23 को पेश हो Kanna

19/7/23

वादी व वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं  
वादी व वादी अधिवक्ता को रक-2  
कर उबार आवाज लगावाइ गई कोई  
उपस्थित नहीं आया। वादी का वादपत्र  
अन्तर्गत धारा 88, 188, 91, 92A RTA  
इसी स्तर पर अदम्य पेशवी अदम्य  
प्राप्ती में स्थगित किया जाता है।  
पत्रावली निर्णित होकर गम्बूर से  
काम होकर दाखिल हुक्म हो।



9

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर